

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

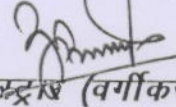
आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1948 / 2022 दिनांक : 16.06.2022

श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक को दिनांक 04.07.2022 से 08.07.2022 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 03.07.2022 एवं 09.07.2022 से 10.07.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री जाखड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक के पद पर ही होने की सम्भावना है ।

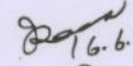
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 16.06.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/110/2015/4472

दिनांक : 16.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 6243 दिनांक 28.05.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ।


सहायक रजिस्ट्रार 16.6.2022